ISSN - 2348-2397
UGC Approved, Journal No. 48836
SHODH SARITA
SHODH SARITA
Vol. 3, Issue 10, April-June 2017
Page Nos. 86-90
AN INTERNATIONAL BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

मार्ले मिण्टो एक्ट 1909 एवं पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली: एक आलोचनात्मक मूल्यांकन

डॉ0 किशोर कुमार*

शोध सारांश

मार्ले मिन्टो एक्ट अथवा भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 का सैद्धांतिक उद्देश्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से उत्पन्न स्थिति का सामना करना था। इस एक्ट के मूल में सरकार की यह मंशा थी कि कांग्रेस के उदारवादी नेतृत्व को संतुष्ट कर दिया जाए और सांप्रदायिकता की भावना को दृढ़ करके क्रांतिकारी; उग्र राष्ट्रवाद का शक्ति से दमन कर दिया जाए। इस एक्ट के प्रावधानों ने यह स्पष्ट कर दिया कि शासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी अथवा प्रतिनिधिक व्यवस्था का प्रारंभ करना नहीं था, वे तो भारतीयों का प्रशासन में सहयोग पाने हेतु इन सुधारों को लाए थे।

1892 में आरंभ की गई प्रतिनिधित्व की व्यवस्था और चुनाव प्रणाली संतोषजनक सिद्ध नहीं हुई क्योंकि इस एक्ट के द्वारा विधान परिषदों में भारतीयों के प्रतिनिधित्व में बढ़ोत्तरी तो हुई, किंतु अशासकीय सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिए जाने की प्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी। वायसराय द्वारा नामांकित किए गए सदस्य उच्च वर्ग से संबद्ध होने के कारण शासन के ही समर्थक होते थे, जिससे वे जनता के हितों की रक्षा नहीं कर पाते थे। इस व्यवस्था से भारतीयों में असंतोष होना स्वाभाविक ही था।[1] चूंकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संबंध प्रतिनिधियों की संख्या से नहीं वरन् जनसामान्य के हितों के प्रतिनिधित्व से होता है। अतः प्रतिनिधित्व का संबंध व्यवस्था मे सहभागिता एवं न्याय से है।[2]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी स्थापना से ही सीमित रूप में, किंतु एक संगठित मन से राष्ट्रवादी स्वाधीनता आंदोलन का संचालन कर रही थी। अपने प्रारंभिक चरण विशेषकर 1885 से 1905 ई0 तक कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता मध्यमार्गी विचारधारा वाले थे, जिन्हें नरमदलीय नेता कहा जाता था। इनका विचार था कि भारत में आधुनिक लोकतांत्रिक शासन की स्थापना शनैःशनैः ब्रिटिश शासन द्वारा की जाएगी। इसी विचार के परिप्रेक्ष्य में संगठन के सदस्यों का प्रमुख कार्य सांवैधानिक परिधि में रहते हुए प्रस्ताव पारित करना तथा ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना था। इसके अन्य कार्यों में भारतीय जनता में राजनीतिक जागृति लाकर एक सुदृढ़ जनमत तैयार करना सम्मिलित था, जिससे राजनीतिक प्रश्नों पर जनता को शिक्षित कर एकजुट किया जा सके।

1905 तक लार्ड कर्जन के प्रतिक्रियावादी कृत्यों ने नरमपंथी नेताओं के प्रभाव को कमज़ोर कर दिया एवं जनमानस भी शनैःशनैः उग्र राष्ट्रवादियों के विचार से सहमत होने लगा। 1892 के सांविधानिक सुधारों से असंतोष, 1897 का अकाल, 1905 में बंगाल का विभाजन आदि कार्यों ने भारतीयों की भावना पर कुठाराघात किया।

बंग भंग की घोषणा तथा उसके विरोध में नरमपंथी नेताओं द्वारा किए गए सार्वजनिक प्रदर्शनों, याचिका प्रस्तुति आदि के असफल हो जाने पर आंदोलन गरमपंथी नेताओं के नेतृत्व में जाने लगा। इसी नीति के तहत कलकत्ता की टाउन हाल सभा में स्वदेशी एवं बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। दोनों ही प्रस्ताव एक दूसरे के पूरक थे। स्वेदशी का तात्पर्य था, भारतीय वस्तुओं का उपयोग तथा बहिष्कार का तात्पर्य था, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में युवा वर्ग ने सक्रिय भागीदारी का निर्वाह किया। इस आंदोलन में पहली बार स्त्रियों ने भी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। इस व्यापक आंदोलन को देखते हुए ब्रिटिश शासन ने सांविधानिक सुधारों के माध्यम से उदारवादियों एवं मुस्लिमों को तुष्ट कर राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास किया। भारत के

*एसोशिएट प्रोफेसर–इतिहास, कु0 मा0 राजकीय म0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0।

Scanned with CamScanner